

फैक्स/ई-मेल सन्देश
राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा
निर्वाचन सदन,प्लाट नं०2,सैक्टर 17
पंचकूला ।

क्र० रा०नि०आ०/३ई-11/2010/1423 दिनांक 26.04.2010

सेवा में

उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
कुरुक्षेत्र ।

दिनांक, पंचकूला अप्रैल,2010

विषय:- पंचायती राज संस्थओं के आम चुनाव 2010- आर०ओ०,
ए०आर०ओ० तथा पी०ओ० ए०पी०ओ० एवं पोलिंग
आफिसरस की नियुक्ति करने हेतु उनकी योग्यता एवं अन्य
शर्तों बारे।

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक 405/पं० दिनांक 20.
04.2010 के सन्दर्भ में।

2. विषयाधीन मामले में माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय
द्वारा चुनाव से सम्बन्धित तैयारी बारे दिनांक 12.04.2010 को गुड़गांव
डिवीजन स्तर पर दिनांक 13.04.2010 को व रोहतक तथा हिसार
डिवीजन स्तर पर बैठक की गई जिसमें विचार-विमर्श उपरांत आयोग द्वारा
निर्णय लिया गया है कि आर०ओ०, ए०आर०ओ० तथा पी०ओ०,
ए०पी०ओ० एवं पोलिंग आफिसरस तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारी की
डियूटी उसके पैतृक गांव/वार्ड में ना लगाई जाये। इसके अतिरिक्त
हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 15 से 19 व
21 में वर्णित निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।

-हस्ता-
अधीक्षक/पंचायत
राज्य निर्वाचन आयोग,हरियाणा

पृ०क्र०:रा०नि०आ०/३ई-11/2010/1424-43 दिनांक:26.04.2010

इसकी प्रति राज्य के सभी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन
अधिकारी (पंचायत) को सूचनार्थ/आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित
की जाती है।

-हस्ता-
अधीक्षक/पंचायत
राज्य निर्वाचन आयोग,हरियाणा